इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514] भोपाल, शनिवार, दिनांक 9 नवम्बर 2013—कार्तिक 18, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर, 2013

फा. 90-वि.निर्वा.-2013-चार-762.—भारत निर्वाचन आयोग के निदेश संख्या 576/3/ईवीएम/2013/एसडीआर/(म. प्र.) दिनांक 5 नवम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 2013

निदेश

सं. 576-3-ईवीएम-2013-एसडीआर (म.प्र.).—यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध है कि वोटिंग मशीनों के जरिए यथा-विहित ऐसी विधि से मत दिया जाए तथा उसे रिकार्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये अपनाई जाए; और

2. यत: आयोग ने मध्यप्रदेश के सभी 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि ऊपर-उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, मतदान कर्मी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के कुशल संचालन में भली-भांति प्रशिक्षित हैं और निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रचालन में पूरी तरह निपुण हैं.

3. इसलिए, अब, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के सभी 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जहां 1-11-2013 को अधिसूचित उक्त राज्यों की विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतों को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित रीति से तथा इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुपूरक अनुदेशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा डाला एवं रिकार्ड किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th November, 2013

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2013-SDR(MP).—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in all the 230 Assembly Constituencies in Madhya Pradesh and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies all the 230 Assembly Constituencies in Madhya Pradesh, as the constituencies in which the votes at the current general election of the Legislative Assembly of the said State notified on 1-11-2013, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd./-

(ASHISH CHAKRABORTY)
Secretary.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.